O/C

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

।। अधिसूचना ।।

अधिसूचना सं०– 9/स्था0–01–25/2015– 1464 पटना–15, दिनांक– 27.03.2023

बिहार जल संसाधन विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग भर्त्ती नियमावली, 2015 (समय–समय पर यथासंशोधित) एवं बिहार जल संसाधन विभाग अवर अभियंत्रण (यांत्रिक) संवर्ग भर्त्ती नियमावली, 2015 (समय–समय पर यथासंशोधित) तथा बिहार राज्य के अंतर्गत सभी विभाग, जिनके नियंत्रणाधीन कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) का संवर्ग हो, के नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के निर्धारण हेतु अधिसूचित नियमावली को निरसित करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या–1174 दिनांक 07.03.2023 द्वारा "बिहार अवर अभियंत्रण (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) संवर्ग नियमावली, 2023 [Bihar Subordinate Engineering (Civil/Mechanical /Electrical) Cadre Rule-2023]" निर्गत किया गया है।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या–1175 दिनांक–07.03.2023 द्वारा बिहार राज्य के अंतर्गत सभी विभागों, जिनके नियंत्रणाधीन कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) का संवर्ग हो, के कनीय अभियंता संवर्गों के संदर्भ में "बिहार अवर अभियंत्रण (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) संवर्ग नियमावली, 2023 [Bihar Subordinate Engineering (Civil/Mechanical /Electrical) Cadre Rule-2023]" को ही प्रवृत्त किया जाना है। एतदर्थ सभी विभागों द्वारा "बिहार अवर अभियंत्रण (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) संवर्ग नियमावली, 2023 [Bihar Subordinate Engineering (Civil/Mechanical /Electrical) Cadre Rule-2023]" को अंगीकृत (Adopt) किया जाना अधिसूचित है।

3. विभागान्तर्गत विभिन्न योजनाएँ/परियोजनाएँ में सन्निहित विद्युतीय कार्यो के संपादन करने निमित्त विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमाधारी कनीय अभियंताओं की आवश्यकता महसूस की जाती रही है।

4. उपर्युक्त वर्णित परिपेक्ष्य में समयक् विचारोपरान्त कार्यहित में निम्नांकित निर्णय संसूचित किया जाता है :–

(i) जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कनीय अभियंता (यॉत्रिक) के कुल स्वीकृत बल का 90 (नब्बे) प्रतिशत पद यॉत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमाधारी के लिए एवं कनीय अभियंता (यॉत्रिक) के कुल स्वीकृत बल का 10 (दस) प्रतिशत पद विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमाधारी के लिए प्रावधानित किया जाता है।

(ii) उक्त कनीय अभियंता (यॉत्रिक) की भर्त्ती एवं सेवा शर्त विभागीय अधिसूचना संख्या–1174 दिनांक–07.03.2023 द्वारा गठित नियमावली "बिहार अवर अभियंत्रण (असैनिक/यॉत्रिक/विद्युत) संवर्ग नियमावली, 2023" में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा।

5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

27/03/2023
(गुंजन कुमार)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक–9/स्था0–01–25/2015– 1464 पटना/दिनांक– 27.03.2023

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

27/03/23
(गुंजन कुमार)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक–9/स्था0–01–25/2015– 1464 पटना/दिनांक– 27.03.2023

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी अभियंता प्रमुख, सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/निदेशक, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, वाल्मी, पटना/सभी संयुक्त सचिव, सभी उपसचिव, सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/03/2023

(गुंजन कुमार)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक–9/स्था0–01–25/2015– 1464 पटना/दिनांक– 27.03.2023

प्रतिलिपि–कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।

27/03/23

(गुंजन कुमार)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक–9/स्था0–01–25/2015– 1464 पटना/दिनांक– 27.03.2023

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग को Common Integrated Website पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/03/23

(गुंजन कुमार)

अवर सचिव (प्रबंधन)।